



CIN NO:-U0110BR2022PTC057675,PAN NO:-AAICV7016J,TAN NO:-PTNV02400G



वानु आर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड

जिला कॉर्डिनेटर का कार्य

- आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क 2550/- रुपया है .
- रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने पर आपको आय डी कार्ड तथा ऑफर लेटर दिया जायेगा.
- जिला कॉर्डिनेटर का कार्य:-
- आप जिस जिले में काम कर रहे उस जिले के सभी ब्लॉक में एक एक ब्लॉक कॉर्डिनेटर कि नियुक्ति करना अनिवार्य होगा.
- अपने जिले के सभी ब्लॉक कि नियुक्ति का समय बीस दिन होगा ,इस बीस दिन अन्दर ब्लॉक कोर्डिनेटर कि जोइनिंग मीटिंग कराना अनिवार्य होगा.
- ब्लॉक कि जोइनिंग मीटिंग के दिन ही आपका ऑफिस खुलने कि तारीख और समय दे दिया जायेगा.
- आपकी बेसिक तनख्वा 30000+5000 TA+DA आपके जोइनिंग दिन से ही शुरू कर दिया जाता है.
- आपके जिले में सभी ब्लॉक कॉर्डिनेटर कि नियुक्ति के बाद उसे एक दिन का ट्रेनिंग देना अनिवार्य होगा.
- ऑफिस खुलने के बाद प्रतिदिन दो जोइनिंग सौ किसान कार्ड, चालीस बच्चा का नामांकन करना अनिवार्य होगा.
- ऑफिस खुलने के बाद प्रति महिना (चालीश से साठ) ज्योनिंग होने पर ही आपकी सैलरी दी जाएगी अन्यथा चालीश से कम होने पर प्रति ज्योनिंग पांच सौ ही दिया जायेगा.
- आपके जिले का साठ जोइनिंग कम्पलीट होने पर बेसिक तनख्वा + सभी जोइनिंग से पांच सौ रुपया दिया जायेगा.
- आपके जिले का सभी पंचायत से प्रति किसान कार्ड पांच रुपया जिला कोर्डिनेटर को दिया जायेगा प्रति बच्चा रजिस्ट्रेशन दस रुपया दिया जायेगा.
- अपने जिले में जो भी रोजाना का कलेक्शन आता है उसे उसी दिन कंपनी में लगाना अनिवार्य है.
- कोई भी कलेक्शन अगर आप रोकते है तो आपके ऊपर कार्यवाही कि जाएगी तथा आपको अपने जिले में कार्य करने से रोक दिया जायेगा.
- अपने जिले के सभी एम्पलॉय को अपने अनुशासन में रखना अनिवार्य होगा.
- अपने जिले के सभी पंचायत में स्टॉक पॉइंट खुलवाना अनिवार्य होगा.
- किसी कारण बश आप कार्य को छोड़ते है तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस वापस नहीं किया जाता है. और आप कार्य को छोड़ने के बाद अपने जिले का सारा हिसाब कंपनी को देकर अपना एन ओ सी लेना अनिवार्य होगा.
- बर्तमान अवस्था में कोई भी विवाद होने पर उसका निराकरण गोड्डा के हेड ब्रांच के सहयोग के साथ गोड्डा न्यायलय में किया जायेगा.
- कार्य करने के दौरान कोई भी अनहोनी होने पर कंपनी द्वारा आपके परिवार को दो लाख का बीमा डी जाएगी. और कोई भी दुर्घटना होने पर पचास हजार तक का इलाज हेतु खर्च दिया जायेगा.